रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2015/फाल्गुन 7, 1936
No. 49] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2015/PHALGUNA 7, 1936

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

**(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)**

**संकल्प**

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2015

**सं. यू-23013/29/2014-एलडब्ल्यू-बी.**—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या यू-23013/12/2011-एलडब्ल्यू दिनांक मई, 2011 के अधिक्रमण में और ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतदद्वारा सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य के गोदाम के प्रतिष्ठानों और प्रतिष्ठान के डिपों में ठेका श्रम उत्सादन के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करता है।

2. इस समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे:-

   **1.** श्री आर.वी. सुब्बा राव, सदस्य

   **2.** श्री आर. मोहन दास, सदस्य

   **3.** उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), रायपुर, सदस्य-संयोजक

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे:-

   "सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, रायगढ़, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठान के गौदाम और डिपो में सामान को लादने–उतारने, ढ़ेर लगाने, पुन: ढ़ेर लगाने, ढ़ेर हटाने, मानकीकरण, पृथक्करण, भार तौलने, सिलाई, सफाई तथा रीफिलिंग जॉब्स/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन करना तथा उक्त प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉब्स/कार्यों में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए क्या ठेका श्रम नियोजन को निषिद्ध किया जाए अथवा नहीं, इसके बारे में उपयुक्त सिफारिशें करना।"

4. इस समिति का मुख्यालय रायपुर में होगा। यह समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी।

जी.के. कालरा, सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

### (Central Advisory Contract Labour Board)

### RESOLUTION

New Delhi, the 25th February, 2015

**No. U-23013/29/2014-LW-B.—**In supersession of this Ministry's Resolution No. U-23013/12/2011-LW dated May, 2011 and in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the establishments of godown and depot of establishment of Central Warehousing Corporation in State of Chhattisgarh.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:-

1. Shri R.V. Subba Rao, Member
2. Shri R. Mohan Das, Member
3. Dy. CLC(C), Raipur, Member – Convenor

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:-

"To study the working of contract labour system in the Jobs/works of loading and unloading, stacking, restacking, destacking, standardization, segregations, weighment, stitching, sweeping, cleaning and refilling in the godown and depot in the establishment of Central Warehousing Corporation, Rayagada, Chhattisgarh and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the said establishments be prohibited keeping in view the provisions of section 10 of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970".

4. The Headquarter of the Committee will be at Raipur. The Committee should submit its report within three months.

G. K. KALRA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.